उत्तराखण्ड परिवहन

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1 राजविहार, चकराता रोड, देहरादून।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा विभिन्न मार्गो पर वोल्वो बसों का संचालन, स्वामित्व स्थानान्तरित कर, संचालन करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव हेतु शर्तो का विवरण www.utc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 18.4.2016 समय 15:00 बजे तक है।

दीपक जैन
महाप्रबन्धक (संचा./तकनीकी)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में निजी नई वोल्वो बसों का स्वामित्व निगम के नाम हस्तान्तरित करने व बस मेन्टीनेन्स/चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा निजी बस स्वामियों के लिये नई वोल्वो बस संचालन की योजना है। उक्त योजना रिक्तियां उपलब्ध होने तक खुली है। विवरण निम्नवत है:–

1. अधिक वोल्वो वाहन उपलब्ध कराने वाली फर्म एवं जिन फर्मो द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं अन्य परिवहन निगम में पूर्व से वोल्वो बसों का संचालन किया जा रहा है, उन फर्मो की बसें लेने को वरीयता दी जायेगी। 10 या अधिक बसें उपलब्ध कराने वाली फर्म को 01 बस अतिरिक्त के रूप में (कुल 11 बसें) दी जानी होगी। स्पेयर वोल्वो बस 05 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये तथा उसकी भौतिक एवं मैकेनिकल दशा संतोषजनक होनी चाहिए।

2. वाहन स्वामी द्वारा बस संचालन हेतु वरियता क्रम में मार्गो का प्रस्ताव दिया जायेगा जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा। निगम द्वारा जिस मार्ग हेतु एल.ओ.आई. जारी किया जायेगा, बस उसी मार्ग पर संचालित की जायेगी।

3. निगम द्वारा 3.15 कि.मी. प्रति लीटर की दर से डीजल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी वाहन द्वारा इससे अधिक डीजल की खपत की जाती है तो अधिक खपत की वसूली पाक्षिक देयक बिलों से की जायेगी। कम डीजल खपत होने की दशा में बचाये गये डीजल मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान, प्रोत्साहन के रूप में वाहन स्वामी को दिया जायेगा।

4. प्रत्येक पक्ष (15 दिन) में बसों द्वारा संचालित किये गये कि.मी. के आधार पर वाहन स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान, बिल प्राप्त होने के एक माह में किया जायेगा।

5. वोल्वो वाहन, उत्पादन कर्ता की Air Conditioner Volvo 9400 Buses Built on B7R Chasis BSIII/ BS IV बस स्वीकार होंगी। सभी बसों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करना होगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा BSIII बस उपलब्ध कराई जाती है तो उत्तराखण्ड सरकार के मानकों के

अनुसार भारतीय पर्यटक अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने व बस का पंजीयन कराने का दायित्व वाहन स्वामी/फर्म का होगा।

6. वोल्वो बसों की भुगतान दरें ASRTU के परिपत्र संख्या–ASRTU/SC(S&C)/Volvo/I/2014.2016 Dated 12.09.2014 के द्वारा निर्धारित For 7& above Buses के अनुसार निर्धारित देरें देय होंगी।

7. अनुबन्ध के समय वोल्वो बसें नयी (ब्रॉण्ड न्यू) होनी चाहिए।

8. प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में रु. 7.20 प्रति कि.मी. निर्धारित है जो कि निगम द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है।

9. अनुबन्ध की अवधि 05 वर्ष होगी जिसे बाद में अधिकतम एक वर्ष तक बस की दशा के अनुरुप बढाया जा सकेगा।

10. प्रस्ताव के साथ प्रतिभूति मद में रुपया 1,00,000.00 (रुपया एक लाख) प्रतिबस की दर से प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होना। प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कुल अनुबन्ध अवधि के एक वर्ष पश्चात तक निगम के पास रहेगी।

11. सभी वोल्वो वाहनें एल.ओ.आई. जारी होने के 90 दिन के अन्दर अथवा निगम शिड्यूल के अनुसार उपलब्ध कराई जानी होंगी। निर्धारित शिड्यूल/अवधि व्यतीत होने के पश्चात ठोस कारण बताए जाने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय, रुपया 1000.00 (रुपया एक हजार) प्रतिदिन प्रतिबस की दर से विलम्ब शुल्क जमा कराने पर, प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिया जा सकता है। इसके पश्चात अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुये आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार निगम का होगा।

13. बसें निगम की समय–सारणी के अनुसार, बस स्टेशन पर प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी। समय पर बस उपलब्ध न कराए जाने पर अनुबन्ध–पत्र के अनुसार पैनाल्टी देय होगी।

14. सभी बसों का स्वामित्व निगम को स्थानान्तरित करना होगा।

15. बस संचालन हेतु चालक उपलब्ध कराया जाना एवं बस मेन्टीनेन्स का दायित्व फर्म का होगा।

16. मेन्टीनेन्स अथवा दुर्धटना आदि की स्थिति में बस को अधिकतम अवकाश अनुबन्ध–पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार देय होगा।

17. बस का Comprehensive बीमा फर्म द्वारा कराया जाएगा तथा दुर्धटना आदि होने पर सभी प्रकार के क्लेम का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

18. बस पर देय समस्त टैक्स जैसे रोड़ टैक्स, फिटनेस फीस, बीमा आदि की देयता फर्म की होगी।

19. बस संचालन हेतु यात्रीकर, परमिट फीस, टोल आदि का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा।

20. आयकर की कटौती नियमानुसार फर्म के बिलों से की जायेगी।

21. चालक एवं फर्म के अन्य कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई आदि देयकों का दायित्व फर्म/वाहन स्वामी का होगा।

22. अनुबन्ध की शर्तो का पालन न किये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये निगम द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

23. बस की कलर स्कीम निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। बसों पर केवल उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड परिवहन निगम का लोगो तथा निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उत्तराखण्ड पर्यटन सम्बन्धी चित्रों को प्रदर्शित करना होगा।

24. बस बौडी में कही भी फर्म का नाम, टेलीफोन नम्बर आदि प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

25. सभी बसों में निगम द्वारा empanneled फर्म से जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा जो निगम के Cooman software पर कार्य करेगा।

26. बस प्रदाता का चरित्र अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये और उसके प्रति किसी प्रकार का वाद योजित नहीं होना चाहिये। साथ ही बस प्रदाता किसी बैंक अथवा फाईनेन्स कम्पनी से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिये। प्रस्ताव के साथ इस आषय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27. 15 या अधिक वोल्वो बसें उपलब्ध कराने वाली फर्म की अधिकतम 02 बसों के लिये पार्किंग व मेन्टीनेन्स हेतु निगम के बस स्टेशन अथवा कार्यशाला में उपलब्धता के आधार पर स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है।

28. किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

29. आवेदन, निर्धारित प्रारुप **संलग्नक '2'** के अनुसार करना होगा।

30. विभिन्न मार्गो पर बसों की आवश्यकता **संलग्नक '3'** है।

महाप्रबन्धक (संचालन/तकनीकी)

परिवहन निगम मुख्यालय।

संलग्नक '2'

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

वोल्वो बसों के संचालन हेतु आवेदन पत्र

निविदा संख्या ....निविदा मूल्य रुपया 1000.00+वैट रु0135.00=रु01135.00

(वेवसाईड से निकालने पर उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नाम देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा)

1— निविदादाता (बस मालिक) का पूरा नाम व पता...

....

....

मोबाइल नम्बर...पैन कार्ड नम्बर..

2— निविदादाता की विधिक स्थिति ....

2.1 हैसियत यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशिप, फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/ कम्पनी की ओर से यदि निविदा दी जा रही है तो पार्टनरशिप डीड अथवा आर्टिकिल और मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें..

2.2 क्या पूर्व में उत्तराखण्ड परिवहन निगम अथवा अन्य परिवहन निगम में बस अनुबन्ध पर चलायी है, यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण ....

....

पूर्व में यदि कोई पैनाल्टी लगी हो तो उसका पूर्ण विवरण ....

... .

3— प्रस्तावित वोल्वो बसों की संख्याः— ....

4— अर्नेस्टमनी (संलग्न) का विवरण

बैंक ड्राफ्ट सं0.................................दिनांक..........................

बैंक का नाम.......................................रू0..............................

5– मार्ग वरीयता क्रम :–

मार्ग का नाम 1. ....

2. ....

3. ....

नोट– उपर्युक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा। इन मार्गो पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मार्ग का आवंटन किया जायेगा। उपर्युक्त में जहां वांछित हो पूर्ण सूचना भरें।

धोषण :– मैं/हम शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिया गया विवरण सही व सत्य है।

हस्ताक्षर

निविदादाता

(वाहन स्वामी)

संलग्नक–'3'

नये मार्गो की सूचीः–

कमांक	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	देहरादून–दिल्ली	04
2	देहरादून–अमृतसर–देहरादून	02
3	देहरादून–लुधियाना–देहरादून	02
4	देहरादून–बरेली–लखनऊ–देहरादून	02
5	हरिद्वार–मथुरा–आगरा–हरिद्वार	02
6	कोटद्वार–दिल्ली–कोटद्वार	02
7	हल्द्वानी–दिल्ली	02
8	हल्द्वानी–लखनऊ–हल्द्वानी	02
9	हल्द्वानी–आगरा–हल्द्वानी	02
10	रामनगर–दिल्ली–रामनगर	01
11	टनकपुर–देहरादून–टनकपुर	02
12	टनकपुर–दिल्ली–टनकपुर	02
13	नानकमत्ता–अमृतसर–नानकमत्ता	02
योग		27

मार्गो की सूची जिन पर वर्तमान में संचालित वोल्वो बसों को मार्च 2017 तक बदला जाना है–

कमांक	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	देहरादून–दिल्ली	14
2	ऋषिकेश–दिल्ली	02
3	हल्द्वानी–दिल्ली	05
योग–		21